



प्रेषक,
पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 27-06-2025**

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रु. 552.00 करोड़ के सापेक्ष 04 इकाईयों को देय अनुवर्ती किस्तों की धनराशि रु.1,89,70,47,915.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आई.आई.पी-2012/मेगा/291, दिनांक 05.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रु0 552.00 करोड़ के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों हेतु रु. 1,89,70,47,915.00 (रु. एक अरब नवासी करोड़ सत्तर लाख सैंतालीस हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रुपये में)

क्र. सं.	कम्पनी	अनुमोदित अनुमन्य धनराशि	नोडल एजेन्सी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1 प्रतिशत)	इकाईयों को वितरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेसर्स एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0लि0, ग्रेटर नोएडा	20,49,18,513.00	20,49,185.00	20,28,69,328.00
2	मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0, मेरठ	2,57,05,275.00	2,57,053.00	2,54,48,222.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	मेसर्स इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0, नोएडा	सैमसंग	1,24,58,43,888.00	1,24,58,439.00	1,23,33,85,449.00
4	मेसर्स वरुण बेवरेजस लि0, हरदोई	सण्डीला,	42,05,80,239.00	42,05,802.00	41,63,74,437.00
कुल योग			1,89,70,47,915.00	1,89,70,479.00	1,87,80,77,436.00
कुल धनराशि (4+5)					1,89,70,47,915.00

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्ष 2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रु. 5,52,00,00,000.00 (रु. पांच अरब बावन करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुल 04 इकाईयों हेतु अनुमन्य/स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन की अनुवर्ती किस्तों की धनराशि रु. 1,89,70,47,915.00 (रु. एक अरब नवासी करोड़ सत्तर लाख सैंतालीस हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा श्री राज्यपाल उक्त धनराशि की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी इकाईयों एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
- तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों में तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई धनराशि पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी।
- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
- उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
- किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
- त धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
- उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
- धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व पिकप द्वारा इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,89,70,47,915.00 (रुपये एक अरब नवासी करोड़ सत्तर लाख सैंतालीस हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608001900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन मानक मद 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- 47/2025/1355(1)/77-6-25-1589618 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
5. निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक,पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आई.आई.आई.पी-2012/मेगा/291, दिनांक 05.06.2025 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।